न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 217/23 **निर्णय दिनांकः–29-02-2024**
(जीसीएमएस संख्या 2023/484)

1. दर्शनादेवी पत्नी सुभाष चन्द्र जाति सोनी पुरानी आबादी गंगाशहर जरिये मुख्त्यारआम रीटा सोनी उर्फ रेखा पुत्री सुभाष चन्द्र जाति सोनी निवासी मानाराम की चक्की वाली गली, मैन बाजार हनुमानगढ़ जंक्शन।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 29–12–1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. रीटा सोनी, अपीलांट् स्वयं
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 29–12–1999 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में चक 13 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 95/39 के किला नम्बर 1 ता 25 कुल तादादी 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा कालान्तर में अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी आवंटन हेतु निलामी में उपस्थित नहीं आया, अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही यह कथन किया गया था कि आवेदित रकबा आज दिनांक को भी शुद्ध रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2017 पेज 209 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

उन्होंने मियाद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियाद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–12–1999 के विरूद्व अपील दिनांक 10–10–23 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र उपस्थित नहीं आने के कारण खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. **(1)** जहॉ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 29—12—1999 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्ध अपील 10—10—2023 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। प्रार्थी एक ग्रामीण परिवेश का काश्तकार व्यक्ति है, जिससे यह अपेक्षा नहीं रखी जा सकती कि व न्यायालय के दिन प्रतिदिन की कार्यवााही की जानकारी रख सके। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत करते हुए चक 13 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 99/39 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई थी।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अपीलांट को वादग्रस्त भूमि के आवंटन की कुल कीमत की 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने हेतु नोटिस जारी किया गया व उक्त राशि जमा करवाने हेतु निर्देशित किया गया।

(4) प्रस्तुत मामलें में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जारी किये गये नोटिस तामील की सुनिश्चितता के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई सूचना अथवा चालान प्राप्त हुआ हो।

(5) यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा चक 13 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 95/39 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। अभिभाषक अपीलांट द्वारा बतौर सबूत प्रस्तुत जमाबंदी सवंत् 2076–2079 के अनुसार उक्त रकबा आज दिनांक को अराजीराज दर्ज है व अन्य किसी को आवंटनशुदा नहीं है। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरडी 2017 पेज 209 का न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिसके अभिलिखित है कि:—

Rajasthan Colonisation (Allotment & Sale of Government Land in IGNP Area) Rules, 1975 - R-23(2) Asstt. Commissioner alloted land and cost to be deposited by allottee - Allotment cancelled for non payment - Appellate Court rejected appeal of allottee - Revision before boar – Held - Land still vacant - Allottee could not deposit amount as no notice was received by him - In the interest of justice allotment regularized if allottee deposits cost with interest - Revision allowed on condition.

चूंकि वादगत् भूमि प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के अनुसार आज दिनांक को भी आराजीराज है तथा अन्य किसी को आवंटित भूमि नहीं है, ऐसी स्थिति में उक्त नजीर मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं नजीर के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–12–1999 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादगत् भूमि अन्य को आवंटित नहीं होने पर अथवा अन्य किसी कार्य के लिए आरक्षित नहीं की गई हो तो ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रार्थना पत्र नियमानुसार उसकी आज दिनांक की पात्रता की जॉच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर अग्रिम कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 29/2/24 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर